प्रेस विज्ञप्ति
04.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आँचलिक कार्यालय ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल, सोहागपुर और पिपरिया और झारखंड के रांची और बोकारो में स्थित विभिन्न परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 02.09.2024 को तलाशी ली। तलाशी में पूर्व कुलपति, पूर्व रजिस्ट्रार और पूर्व वित्त नियंत्रक सहित विश्वविद्यालय के प्रमुख व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल थे। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और अचल/चल संपत्तियों का विवरण मिला और उन्हें जब्त कर लिया गया।

ईडी ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन, गांधी नगर, भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर/चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर और चार्जशीट की जाँच से पता चला कि विश्वविद्यालयों की करीब 20 करोड़ की राशि निजी व्यक्तियों और ट्रस्ट के खातों में भेजी गई।

पीएमएलए के तहत जाँच के दौरान बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि विश्वविद्यालय की राशि को संपत्ति, सावधि जमा रसीद, म्यूचुअल फंड और आभूषणों में निवेश के लिए वपतिथ(डायवर्ट) किया गया। बैंक कर्मचारी की मिलीभगत में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की भूमिका सामने आई है। तलाशी के दौरान प्रमुख व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए और करीब 1.90 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को फ्रीज़ किया गया साथ ही विभिन्न संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त किए गए। पीएमएलए जाँच के आधार पर पाया गया कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ बैंक कर्मचारी और अनुसूचित अपराध में शामिल अन्य लोग जानबूझकर अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल थे।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।